

10.09.24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व ऑर्डर
अनुसार डि-01.10.24 को पेश हो।

01.10.24

पत्रावली पेश हुई। मन्निभाषण संपन्न होकर
ने भाज कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली
दिनांक 24.12.24 को पेश हो।
Akh

05.11.24

आज यह पत्रावली अपार्षी संख्या
1 की ओर के जर्मि वकील श्री
दीश कुमार शर्मा द्वारा आवेदन बाबत
प्रकरण की शीघ्र सुन्वाई करने का
पेश करने पर पेशी में ली गई है।
वकील अपार्षी को आवाज लगाई
गई, परन्तु अनुपस्थित रहे।

वकील अपार्षी ने निवेदन किया
है कि अपार्षी द्वारा जिन पीढामीन
अधिकारी के विरुद्ध मुद्रावली आवेदन
प्रस्तुत किया है उनका स्थानान्तरण आवेदन
होने से अपार्षी को अब कॉप ऑफ एफशन
प्राप्त नहीं है। अतः पत्रावली/प्रकरण का
निलक्षण जटमाया जावे।

इसने पत्रावली का बगौर अवलोकन
किया। तात्कालीन पीढामीन अधिकारी
जिनके विरुद्ध मुद्रावली आवेदन पेश किया
गया है का स्थानान्तरण अवमत्र हो चुका
है जिनके स्थान पर अन्य अधिकारी भी
पदस्थापित हो चुके हैं। अतः इस पत्रावली
को आगे चलाने जाने का कोई उचित
कारण प्रतीत नहीं होता है।

अतः पत्रावली NO Cause of Action
में खारिज की जाती है। पत्रावली के माल फुटाल
होकर नम्बर से कम है।

(मुकुल शर्मा)

जिला कलेक्टर, सीकर